दर्शन सिंह बनाम् राजस्व मण्डल, अजमेर वगैरा।
(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 3035/1999)

02.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री कमलाकर शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री श्याम आर्य, राजकीय अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्ष।

अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन), बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या- 62/सीलिंग/83 में निर्णय दिनांक- 9.12.1997 द्वारा खसरा संख्या- 471/1 की भूमि रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि अधिगृहीत करने के आदेश पारित किए गये थे। दर्शन सिंह द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश, बून्दी के समक्ष उज्रदारी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि आदेश दिनांक- 9.12.1997 की पालना में खसरा संख्या- 471/1 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा,भूमि में से 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर से प्रार्थी उज्रदार को बेदखल करने के सम्बन्ध में जो आदेश पारित किए गये हैं उन्हें निरस्त किया जावे। अतिरिक्त जिलाधीश, बून्दी ने आदेश दिनांक- 10.3.1999 द्वारा प्रार्थी की उज्रदारी को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि विवादित भूमि 1.4.1966 को भूमिधारी मेघवान के खाते राजस्व अभिलेख में अंकित थी तथा न्यायालय द्वारा सोहन लाल के पक्ष में डिक्री दिनांक- 6.11.1970 को पारित की गई थी। सीलिंग नियमों के प्रावधानानुसार दिनांक- 31.12.1969 के पश्चात् किये गये हस्तांतरण को मान्यता नहीं दी जा सकती। उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थी ने राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की, जो राजस्व मण्डल, अजमेर ने आदेश दिनांक- 23.3.1999 द्वारा ग्रहणार्थ स्तर पर निरस्त कर दी।उक्त दोनों आदेशों को प्रार्थी ने इस रिट याचिका में चुनौती दी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री कमलाकर शर्मा ने मेरा ध्यान उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक- 6.11.1970 (प्रदर्श-3) की ओर आकर्षित किया, जिसके

अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि जरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक- 13.4.1964 को विक्रय की जा चुकी थी और विवादित भूमि को खातेदार मेघवान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र सोहन लाल के पक्ष में विक्रय कर चुका था और उसने उपखण्ड

अधिकारी,बून्दी के समक्ष भी जवाबदावा इस आशय का प्रस्तुत किया था। मेघवान ने राजीनामें में भी यह अभिकथित किया था कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में सोहन लाल के नाम दर्ज कर दी जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बून्दी ने निर्णय दिनांक- 6.11.1970 द्वारा उक्त विक्रय पत्र को मान्यता देते हुए सोहन लाल के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित की। ऐसी स्थिति में जबकि विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक- 13.4.1964 को ही सोहन लाल के पक्ष में विक्रय की जा चुकी थी। सोहन लाल से विवादित भूमि जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक- 9.7.1975 सुखचेन सिंह ने क्रय की थी तथा सुखचैन सिंह से प्रार्थी ने विवादित भूमि जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक- 19.7.1979 क्रय की थी, ऐसी स्थिति में यह माने जाने का कोई आधार नहीं था कि विवादित भूमि भारमुक्त होने के कारण अधिग्रहण किए जाने योग्य थी एवं विवादित भूमि के जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र किए गये विक्रय को मान्यता नहीं दी जा सकती। राजस्व मण्डल, अजमेर ने भी इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक- 13.4.1964 को ही मेघवान द्वारा विक्रय की जा चुकी थी और इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, बून्दी ने दिनांक- 6.11.1970 सोहन लाल के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित किये थे, जिसके आधार पर मेघवान के स्थान पर सोहन लाल का नाम विवादित भूमि का खातेदार आसामी अंकित किया गया था।

परिणामत: यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन), बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक- 10.3.1999 एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक- 23.3.1999 निरस्त किए जाते हैं तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उज्रदारी स्वीकार करते हुए अतिरिक्त जिलाधीश, बूंदी को निर्देश दिए जाते है कि वे प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र क्रय की गई भूमि खसरा सं. 471/1 वाके ग्राम लाडपुरा जिला- बूंदी रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा को अधिगृहण से मुक्त करेगें और उक्त भूमि पर से प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास नहीं किया जावेगा। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)